OperationConviction के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से अपर जिला एवं सत्र न्यायालय बहराइच द्वारा गम्भीर चोट कारित करने वाले अभियुक्तगणों को 02 वर्ष का कठोर कारावास तथा 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

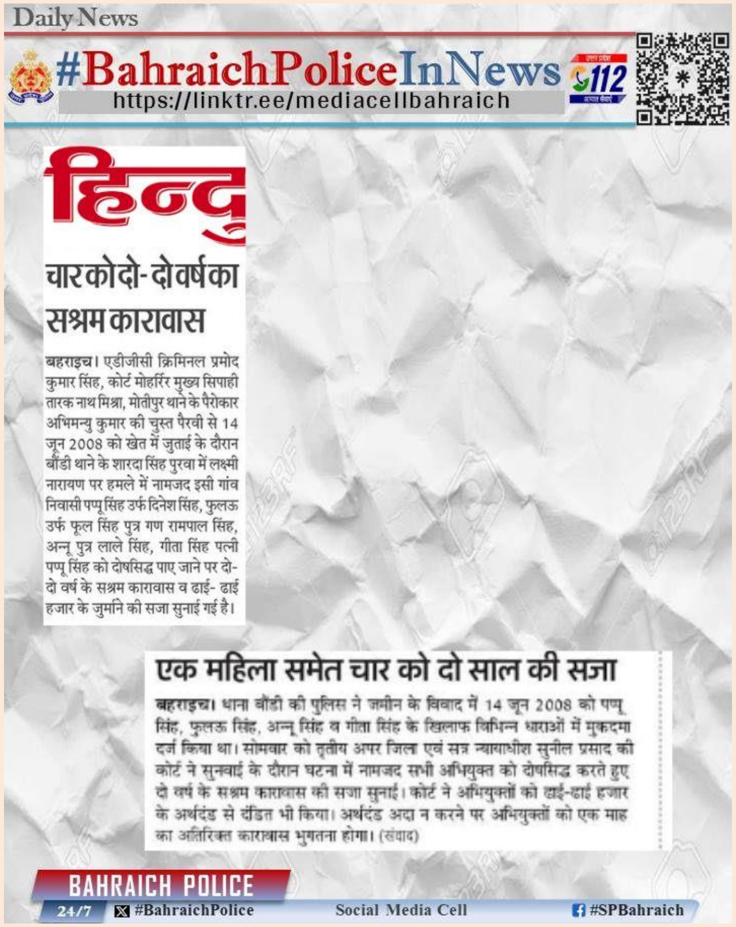

Daily News

#BahraichPoliceInNews

https://linktr.ee/mediacellbahraich

हिन्दुस्तान

चार को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास

बहराइच। एडीजीसी क्रिमिनल प्रमोद कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर मुख्य सिपाही तारक नाथ मिश्रा, मोतीपुर थाने के पैरोकार अभिमन्यु कुमार की चुस्त पैरवी से 14 जून 2008 को खेत में जुताई के दौरान बौंडी थाने के शारदा सिंह पुरवा में लक्ष्मी नारायण पर हमले में नामजद इसी गांव निवासी पप्पू सिंह उर्फ दिनेश सिंह, फुलऊ उर्फ फूल सिंह पुत्र गण रामपाल सिंह, अन्नू पुत्र लाले सिंह, गीता सिंह पत्नी पप्पू सिंह को दोषसिद्ध पाए जाने पर दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास व ढाई- ढाई हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

एक महिला समेत चार को दो साल की सजा

बहराइच। थाना बौंडी की पुलिस ने जमीन के विवाद में 14 जून 2008 को पप्पू सिंह, फुलऊ सिंह, अन्नू सिंह व गीता सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। सोमवार को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील प्रसाद की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान घटना में नामजद सभी अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्तों को ढाई-ढाई हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। (संवाद)
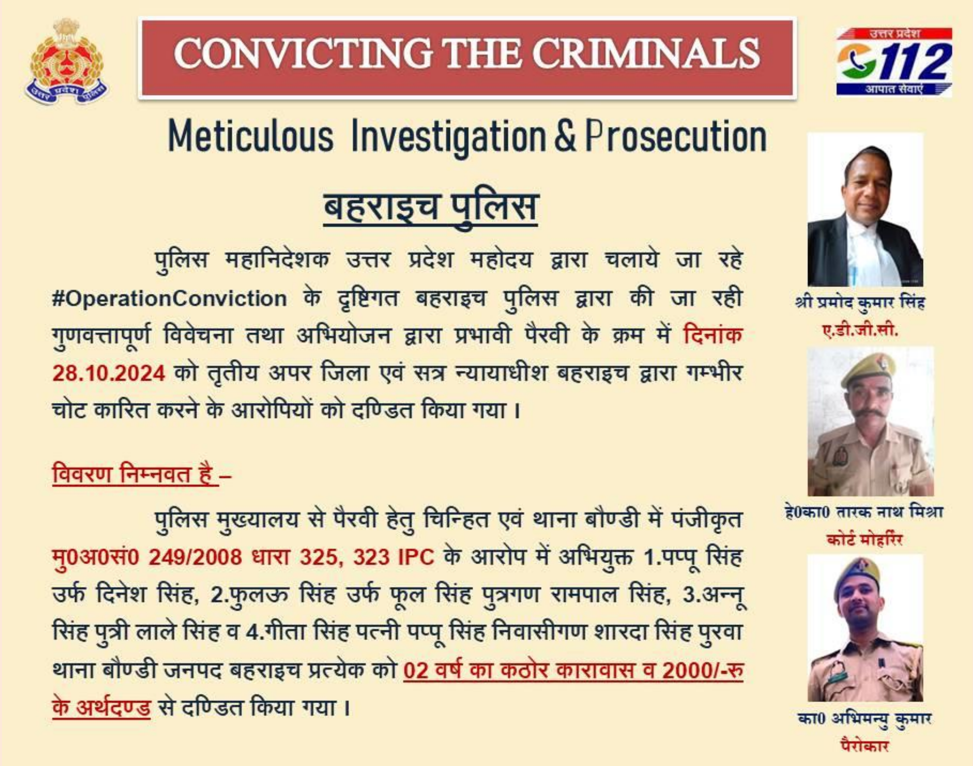
BAHRAICH POLICE
24/7 #BahraichPolice Social Media Cell #SPBahraich